

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी 0 0.00 से किमी 0 81.204 तक के 4 लेन चौड़ाकरण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है जिसमें बाधक 849 वृक्ष बाधक है। आरक्षित वन क्षेत्र में गुजरने वाली सड़क के दोनो तरफ वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वन्य जीवों के सड़क पर आ जाने से होने वाले दुर्घटना को रोकने हेतु प्रस्तावक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर द्वारा ताड़बाड़ फेंसिंग का कार्य कराये जाने की वचनबद्धता दी जाती है।


Divisional Forest Officer
Gorakhpur Forest Division
Gorakhpur


परियोजना निदेशक
पी.आई.यू.
गोरखपुर
Gorakhpur